प्रेस नोट ***05/02/2025***

विदेश भेजने के नाम पर आनलाइन की गयी साइबर फ्रॉड की कुल धनराशि 31862 रुपये थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए विदेश भेजने के नाम पर आनलाइन की गयी साइबर फ्रॉड, पीडित उज्जल राय पुत्र अशोक राय निवासी गौरीडीह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कुल धनराशि 31862 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दोहरीघाट के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट, क0आ0 सुनील कुमार, म0आ0 प्रज्ञा शुक्ला, का0 अमित मिश्रा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

गुम/खोये हुए 02 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हलधरपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम हुए एक अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 10000 रुपये को बरामद कर शिकायतकर्ता सनोज कुमार पुत्र स्व0 शिवकुमार सिंह निवासी रेलवे कर्मचारी रतनपुरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को तथा थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम हुए एक अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 16000 रुपये को बरामद कर शिकायकर्ता रवि सोनकर पुत्र अनिरुद्ध सोनकर निवासी रेलवे स्टेशन रोड दोहरीघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को सुपुर्द किया गया।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 05.02.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग को दौरान थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर सिकटिया पुल के पास से मु0अ0सं0 510/24 धारा 64(1),137(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र स्व0 राजु निवासी हट्टीमदारी थाना कोतवाली नगर व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा बसारतपुर के पास से मु0अ0सं0 57/25 धारा 87 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र कन्हैया निवासी बसारतपुर थाना मुहम्मदाबाद तथा मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा भाटीकला के पास से मु0अ0सं0 55/25 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्तगण विराट पुत्र हिरा, बदरुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासीगण तेन्दुली थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एससी/एसटी मामले में दोषसिद्ध 05 अभियुक्त 02-02 वर्ष के साधारण कारावास व ₹2,000-2,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसी/एसटी कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 05-02-2025 को मु0अ0सं0 1020/16 धारा 147,427,504,506 भादवि थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्तगण रामबाबू, घनश्याम व राधेश्याम पुत्रगण इन्द्रदेव, रामप्रताप पुत्र जोगी व रीता पत्नी रामप्रताप निवासीगण लकुरा थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 02-02 वर्ष के साधारण कारावास व ₹2,000-2,000 के जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सतेन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी रामभवन थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 05.02.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र कैलाश शर्मा निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण गोविन्द पुत्र सुर्यभान निवासी अकोल्ही मुबारकपुर थाना घोसी, रामसिंह चौहान पुत्र सुन्दर निवासी इन्द्रपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।